

प्रेषक,

निहारिका चौहान,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
कक्ष सं. 8 लखनऊ।

सेवा में,

मा0 महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
लखनऊ।

पत्रांक: 282/VI/स.स.नि. / पी.जे.रफ.सी लखनऊ। दिनांक: 03/08/24

विषय—माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-9691 दिनांकित
16 जुलाई, 2024 के अनुपालन में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि उपरोक्त पत्रांक के अनुपालन में शासनादेश 28 जून 2024 सपठित शासनादेश 11 जुलाई 2024 के वांछा अनुसार विहित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

दिनांक— 02.08.2024

भवदीय,

Niharika
02/08/2024

(निहारिका चौहान)
अपर प्रधान न्यायाधीश,
कक्ष सं. 8, लखनऊ

संलग्नक— विकल्प पत्र।

अग्रसारित

[Signature]
प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
लखनऊ।

शासनादेश सं.-20/2024/सा-3-276/दस:2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई,2024
का संलग्नक:-

विकल्प पत्र

- 1- नाम- श्रीमती निहारिका चौहान
2. वर्तमान पद नाम- अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, लखनऊ।
- 3- वेतनमान- 1,72,960/- रु.
- 4- वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग
- 5- राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित जारी करने वाले विभाग का नाम- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
- 6- विज्ञापित की तिथि- 15 नवम्बर, 2003 (विज्ञापन सं०-A-2/E-1/2003)
- 7- विज्ञापित के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि-26.05.2006 (संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001टीसी-1)
- 8- योगदान की तिथि- 16.06.2006
- 9- जन्म तिथि- 19.03.1978
- 10- सेवानिवृत्ति की तिथि-31.03.2038

मैं निहारिका चौहान पुत्री श्री डॉ० एम०एस० चौहान शासनादेश संख्या- 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 दिनांक 28.06.2024 के अंतर्गत पुरानी पेन्शन योजना (✓)/नवीन पेन्शन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ।

मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाय।

हस्ताक्षर-.....

नाम- निहारिका चौहान

पदनाम- अपर प्रधान न्यायाधीश,

पारिवारिक न्यायालय, लखनऊ।

घोषणा पत्र

मैं निहारिका चौहान पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, लखनऊ, यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम सं.-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-.....

नाम- निहारिका चौहान

पदनाम- अपर प्रधान न्यायाधीश,

पारिवारिक न्यायालय, लखनऊ।

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री निहारिका चौहान पद नाम अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, लखनऊ, को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेन्शन योजना (✓)/नवीन पेन्शन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/ सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति



लोक सेवा आयोग, 30प्र0

विज्ञापन संख्या
ए-2/ई-1/2003

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003

संक्षिप्त विज्ञापन

1. इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दिनांक 22 नवम्बर, 2003 को प्रकाशित होने वाले 'इम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार' में देखा जा सकता है, जिसमें इसके अतिरिक्त आवेदन करने की प्रक्रिया, प्रारम्भिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के विषय एवं उत्तरपत्र साक्षात्कार के सम्बन्ध में सूचना, परीक्षा केंद्रों/जिलों का नाम, इत्यादि की सूची जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं, आदि का उल्लेख है।

2. यह विज्ञापन आयोग के वेब-साइट <http://uppsc.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

3. अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने एवं अर्ह होने की स्थिति में ही आवेदन करें।

1. पद का नाम : उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
2. शिक्षणों की कुल संख्या : 347 जिसमें विभिन्न आरक्षण शामिल हैं और यह विस्तृत विज्ञापन में देखा जा सकता है।
3. वेतनमान : रु. 9000-14550/-
4. शैक्षिक अर्हता : क. वि.ए स्नातक अथवा (ख) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अधिनियम के अर्थानुसार कोई अधिवक्ता या इंग्लैण्ड या नार्दन आयरलैण्ड राष्ट्र इरिस्टन या स्कॉटलैण्ड में अधिवक्ताओं के सहाय का कोई सदस्य जिसे उच्च न्यायालय के अर्थानुसार न्यायालय में कार्यवाह करने का हकदार होना आवश्यक है।
5. आयु सीमा : 01 जुलाई, 2004 को 22 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए। 22 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1982 के बाद का नहीं होना चाहिए परन्तु उ.प्र. के मूल निवासी उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति एवं उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी। इसी प्रकार उ.प्र. के स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों हेतु भी आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी। उ.प्र. न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2003 के प्रावधान अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01 जुलाई, 2001 एवं 01 जुलाई, 2001 आयुसीमान्तर्गत थे वे भी इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे।

परन्तु किसी अभ्यर्थी को अवसर ग्रहण की अनुमति की संख्या अधिकतम होगी। अवसर की गणना इस प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित होने से की जायेगी।

शासनादेश सं. - 17/2/1981-कार्मिक-2, दिनांक 28 फरवरी, 1985 के प्रा. के अनुसार सेना के आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकाली कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को, जिन्होंने सेना में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा करली हो, निर्धारित आयु सीमा से अधिकतम पाँच वर्ष तक की छूट, सेवाकाल को आधार माना जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो आवेदन स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि से छः माह की अवधि में कार्यमुक्त हों, परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी :- (1) जो कदाचार अथवा अक्षमता के कारण बर्खास्त हुए हों, (2) जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जा शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवा मुक्त हुए हों।

शासनादेश संख्या - 22/21/1983-कार्मिक-2, दिनांक 28.11.1985 के राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं।

6. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : 19 दिसम्बर, 2003
7. डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण की तिथि : 22 नवम्बर

PSC/2103

No. 1028 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Chandra Mani Mishra**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Varanasi.

No. 1029 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Gopal Tiwari**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mahoba in the vacant court.

No. 1030 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Niharika Chauhan**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Mathura.

No. 1031 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Gagan Kumar Bharti**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mainpuri in the vacant court.

No. 1032 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Amit Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Pratapgarh.

No. 1033 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Mohd. Qamruzzama Khan**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Kaushambi in the vacant court.

No. 1034 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Sudhakar Rai**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Deoria.

No. 1035 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Sanjay Mishra**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Jaunpur.

No. 1036 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Vishnu Prasad Agrawal**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Jaunpur.